

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.


वाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट

मु.नं. 131/सन् 2019

638
15.1.20

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/19	<p>यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी 1.अमजद खां पुत्र श्री समन्दर खां 2. बाबु खां पुत्र समदर खां 3. मुन्शीयां पुत्र समदर खां 4. राजा खां उर्फ रूसतम खा पुत्र समदर खां, जाति कयामखानी निवासी कस्बा लाडनूं जिला नागौर ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गनोड़ा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता खंख्या 114 पुराना खाता संख्या 111 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में 1. बाबुखां पुत्र अमजदखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/9 खातेदार 2. मुंशीखां पुत्र अमजदखां जाति मुसलमान हिस्सा 1/9 निवासी लाडनूं खातेदार 3. मोतीखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 4. राजाखां उर्फ रूसतम खां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/9 दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम 1. बाबुखां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 खातेदार 2. मुंशीखां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान हिस्सा 1/12 निवासी लाडनूं खातेदार 3. मोतीखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 4. राजाखां उर्फ रूसतम खां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 5. अमजद खां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 है। प्रार्थी का नाम 1. बाबुखां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 2. मुंशीखां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 3. मोतीखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 4. राजाखां उर्फ रूसतम खां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 5. अमजद खां पुत्र समदर खां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 किया जाने के आदेश फरमावे।</p> <p>वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2075-78 में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड व पटवारी एवं भू अ. निरीक्षण जीली की रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में नया खाता संख्या 114 पुराना खाता संख्या 111 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-</p>	<p>2019 00254</p>

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गनोड़ा	114/111	1. बाबुखां पुत्र अमजदखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/9 खातेदार 2. मुंशीखां पुत्र अमजदखां जाति मुसलमान हिस्सा 1/9 निवासी लाडनूं खातेदार 3. मोतीखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 4. राजाखां उर्फ रूस्तम खां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/9	1. बाबुखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं हिस्सा 1/12 खातेदार 2. मुंशीखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान हिस्सा 1/12 निवासी लाडनूं खातेदार 3. मोतीखां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 4. राजाखां उर्फ रूस्तम खां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12 5. अमजद खां पुत्र समदरखां जाति मुसलमान निवासी लाडनूं खातेदार हिस्सा 1/12
<p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/11/14 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, सुजानगढ़ सुजानगढ़ </p>				

